FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला .....चूरू..... थाना.....प्रधान आरक्षी केंद्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....वर्ष 2022.....
   प्र.इ.रि.सं.....479...../2022..... दिनांक.....19/12/2022.....

2. (I) अधिनियम...भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) (संशोधन 2018) धारा...7
   (II) अधिनियम.....–..... धारा.....–.....
   (III) अधिनियम.....–..... धारा.....–.....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....367.....समय.....1:15PM.
   (ब) अपराध घटने का दिन.....10.11.2022.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....09.11.2022.....समय.....12.30पीएम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पूर्व–दक्षिण दूरी करीब 100 किलोमीटर।
   (ब) पताः– कार्यालय मुख्य प्रबंधक, आरएसआरटीसी खेतडी आगार(झुन्झुनू)
   बीटसंख्या.....जयरामदेही सं..
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– अजयपाल सिंह
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री सुमेर सिंह राजपूत
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– 40 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय :– नोकरी .... हाल परिचालक आरएसआरटीसी खेतडी आगार जिला झुन्झुनू
   (ल) पता ... वार्ड नं0 23 खेतडी जिला झुन्झुनू

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री रामावतार चांवरिया पुत्र श्री मुखाराम निवासी इण्डस्ट्रीयल ऐरिया झेरली रोड पिलानी जिला झुन्झुनू हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तत्का0 कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार खेतडी जिला झुन्झुनू।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....10,000रूपये रिश्वत की मांग.....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामे,

श्रीमान अतरिक्त पुलिस अधिशक
A.C.B. चुरू

विषयः– रिश्वत लेते हुऐ रामावतार चावरियां मुख्य प्रबंधक खेतडी आगार को पकडवाने हेतु।

महोदय,

नम्र निवेदन है कि मै अजयपाल सिंह निवासी खेतडी हाल परिचालक खेतडी आगार में तैनात हूॅ मै हमारे आगार में सीनयर परिचालक होने के कारण श्रीमान मुख्य प्रबंधक से रूट आफ करने की आज्ञा चाही। इस पर मुख्य प्रबंधक चावरियां जी ने मेरे अगस्त माह में समय सारणी में आदेश कर दिया था और उसके बाद में माह सितम्बर में मौखिक आदेश राजस्व कैशियर के स्थान पर लगा दिया था। इस सीट पर बने रहने हेतु रामावतार जी ने मेरे से 5000 रूपये बतौर रिश्वत देने की मांग करने लगे। मैने उन्हे एक बार यह रूपये दे दिये थे। परन्तु अब मुख्य प्रबंधक महोदय मुझे सीट पर लगे रखने के लिए हर माह पांच हजार रूपये रिश्वत के मांग रहे हैं और पिछले दो महीने के अक्टुम्बर, नवम्बर के बकाया 10 हजार रूपये भी चाहते हैं। मै उनसे कल दिनांक 7/11/22 को मुख्य प्रबंधक ने अपने आफिस में बुलाया कि राजस्व सीट पर बैठे रहना चाहते हो और रहना है तो 5000 रूपये हर महीने की पहली तारीख को देने पडेगें। मुझे भी आगे देने पडता है तुम्हारे दो महीने के बाकी हो गये हैं। मैने श्रीमान मुख्य प्रबंधक चावरिया जी को कहा कि सर मै सीनयरटी के हिसाब से डयुटी में आया हूॅ और यहां भी काम करता हूॅ आप देख लो इस पर रामावतार जी ने कहा कि रूपये तो हर महीने देने ही पडेगें रामावतार जी मुख्य प्रबंधक महोदय को मै जायज काम करते हुए रिश्वत नही देने चाहता हूॅ और उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅ मेरा रामावतार जी का आपस में कोई लेन–देन बकाया नही है और मेरी रामवातार जी से कोई व्यक्तिगत रंजिस व नाराजगी नही हैं। रिपोर्ट करता हूॅ आवश्यक कानुन कायवाई करने की कृपा करे।

दिनांक 9–11–22

भवदिय
एसडी अजयपाल सिंह
नाम अजयपाल सिंह S/o सुमेर सिंह
पद परिचालक खेतडी आगार
खेतडी
9610325315

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.11.2022 को सुबह परिवादी श्री अजयपाल सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 23 खेतडी हाल परिचालक, आगार खेतडी जिला झुन्झुनू ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि हमारे आगार खेतडी जिला झुन्झूनू के मुख्य प्रबंधक श्री रामावतार चांवरिया मेरे से 5,000रूपये प्रतिमाह के हिसाब से दो महीने के 10,000रूपये रिश्वत के मांग रहे है जिस पर परिवादी अजयपाल सिंह को चौकी पर आकर रिपोर्ट पेश करने की कहने पर परिवादी श्री अजयपाल सिंह ने कहा कि मै चूरू तो नही आ सकता लेकिन झुन्झुनू आ सकता हूॅ जिस पर परिवादी को हिदायत की गई की आप मुझे कलक्ट्रेट झुन्झुनू में मिलना मै झुन्झुनू पंहुच रहा हूॅ। जिस पर मुख्यालय के निर्देशानुसार मै शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस मय श्रवण कुमार कानि के निजी वाहन से चूरू से रवाना होकर वक्त 12.30 पीएम पर झुन्झुनू कलक्ट्रेट पहुचा, परिवादी अजयपाल सिंह निर्देशानुसार उपस्थित मिला जिसने बताया कि मै आगार खेतडी में परिचालक के पद पर कार्यरत हूॅ तथा आगार में मुख्य प्रबंधक के पद पर श्री रामावतार चांवरिया कार्यरत हैं। हमारे मुख्यालय जयपुर के आदेश है कि जो परिचालक सीनीयर हो जाता है उसको परिचालक से हटाकर कार्यालय/आगार में लगाने के आदेश हैं। इसी आदेश की पालना में श्री चावरियां ने मेरे को

माह अगस्त में समय सारणी में आदेश कर दिया तथा माह सितम्बर में मोखिक आदेश से राजस्व कैशियर के पद पर मुझे लगा दिया। उक्त सीट पर बने रहने के लिए श्री चांवरिया मुख्य प्रबंधक ने मेरे से पांच हजार रूपये मांगे तो मैने एक बार उनको पांच हजार रूपये दे दिये। अब श्री चावरिया जी मेरे से उक्त कैशियर के पद पर रखने के नाम से पांच हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से पिछले दो माह अक्टुबर, नवम्बर के दस हजार रिश्वत के मांग रहे है तथा धमकी दे रहे हैं कि अगर रिश्वत नही दी तो आपको कैशियर के पद से हटा दुंगा। मै हमारे मुख्य प्रबंधक श्री रामवतार चांवरिया को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूॅ मेरी श्री चावंरिया से कोई रंजिश नही है तथा ना ही हमारे बीच में कोई उधारी का लेन–देन बकाया हैं। उपरोक्त आश्य की रिपोर्ट परिवादी ने पेश की जिस पर परिवादी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया।

परिवादी को आरोपी से रिश्वत मांग वार्ता करने के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि श्री चावंरिया जी आज मुझे कार्यालय में मिल सकते है जिसके पास कार्यालय में जाकर मै रिश्वत के सम्बधं में वार्ता कर सकता हूॅ। इस पर परिवादी श्री अजयपाल सिंह व हाजिर कानि श्रवण कुमार का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को टेप रिकॉर्ड चालु व बंद करने की विधि समझा कर कानि श्रवण को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि खेतडी पंहुच कर टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर वार्ता के लिए रवाना करे। बाद हिदायत परिवादी अजयपाल सिंह व कानि श्रवण कुमार को परिवादी के निजी वाहन से खेतडी के लिए रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस झुन्झुनू से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा।

वक्त 7.00 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै व परिवादी अजयपाल सिंह रवाना होकर खेतडी में आगार कार्यालय पंहुचे मगर श्री रामवातार जी कार्यालय में नही होकर बाहर चैकिग में गया हुआ होने के कारण परिवादी अजयपाल सिंह ने कहा कि आज शाम तक वापिस नही आयेगें अब तो कल सुबह ही उनसे वार्ता हो सकती है जिस पर निर्देशानुसार परिवादी अजयपाल सिंह को खेतडी ही छोडकर मै हाजिर आया हूॅ। कानि ने टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो सुरक्षित रखा गया, कानि को हिदायत की गई कि आईन्दा सुबह खेतडी पहुच कर परिवादी से सम्पर्क करे।

दिनांक 10.11.2022 को सुबह 6.30 एएम पर समय कानि श्रवण कुमार को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री अजयपाल सिंह से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये खेतडी के लिए रवाना किया गया।

वक्त 8.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अपराध गोष्ठी में शरीक होकर मुख्यालय जयपुर से हाजिर आया दिन में 11.10 एएम पर कानि श्रवण कुमार ने जरिये दूरभाष बताया कि मै सुबह रवाना होकर आगार खेतडी पहुच परिवादी अजयपाल सिंह से सम्पर्क किया तथा वार्ता करने के लिए टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी अजयपाल सिंह आगार मुख्य प्रबंधक से सम्पर्क करने उसके कार्यालय में गया तथा थोडी देर बाद वार्ता करके मेरे पास उपस्थित आया और टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मै हमारे मुख्य प्रबंधक श्री रामवातार जी चावरिया के पास उनके कार्यालय में गया तथा उनसे वार्ता की और राशि कम करने की बात की तो उन्होने कहा कि मै प्रतिमाह के छः हजार लेता लेकिन आप पांच ही दे देना। श्री चावरिया जी को मैने कैशियर के पद पर स्थाई आदेश करने की कही तो उन्होने कहा कि आज ही आदेश कर देता हूॅ। चावरिया जी ने मेरे से एक महीने के पांच हजार के हिसाब से दो माह के दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की जो मुझे कल देने हैं। हमारे दोनो के बीच हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। जिस पर कानि को हिदायत की गई की परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल सुबह कार्यालय चूरू में हाजिर आने कि हिदायत कर चूरू पंहुचे। श्री ओम प्रकाश कानि को ट्रेप कार्यवाही बाबत दो सरकारी तलबी बाबत जरिये दूरभाष निर्देश दिये गये थे। हाजिर कानि श्रवण कुमार ने वार्ता का टेप रिकॉर्डर

सुपुर्द कर जरिये मोबाईल बताई गई बातो को दोहराया और बताया कि परिवादी श्री अजयपाल सिंह को रिश्वती राशि लेकर कल सुबह 6.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत हिदायत कर हाजिर आया हूँ। हाजिर कानि ओम प्रकाश ने बताया कि अधीक्षक, राज. डी.बी. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग चूरू से दो सरकारी कर्मचारियों को सुबह 6.00 एएम पर उपस्थित होने बाबत पाबंद किया गया हैं। कानि श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया आईन्दा कल सुबह परिवादी के उपस्थित आने पर कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 11.11.2022 को वक्त 5.40 एएम पर परिवादी श्री अजयपाल सिंह हाजिर चौकी आया तथा कानि श्रवण कुमार के द्वारा कल जरिये दूरभाष बताये गये तथ्यों को दोहराया तथा बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000रू. साथ लाया हूँ। रिश्वती मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 10.11.2022 की टेप को परिवादी अजयपाल सिंह व कानि श्रवण कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर एक डीवीडी को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'A' अंकित किया गया तथा एक डीवीडी खुली रखी गई। दोनो डीविडियों को जमा मालखाना करवाया गया। अधीक्षक, राज. डी.बी. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग चूरू से दो सरकारी कर्मचारी श्री नरेश कुमार व प्रदीप कुमार नर्सिग ऑफिसर पूर्व से पाबंदशुदा हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का हाजिर परिवादी अजयपाल सिंह से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी अजयपाल सिंह ने रूबरू गवाहान, रिश्वत में दिये जाने वाले 10,000रूपये (पांच–पांच सौ के बीस नोट) प्रस्तुत किये। जिनका विवरण फर्द में अंकित किया जाकर सभी नोटो पर श्री श्रवण सिंह स.प्र.अ. से फिनोल्फथलीन पाऊडर लगवाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह नरेश कुमार से लिवाई गई व परिवादी के पहनी पेन्ट की बांयी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि आरोपी लेकर कहां रखता है उसका ध्यान रखे, आरोपी से हाथ नहीं मिलावे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल करे तथा यदि सम्भव हो तो अपने सिर पर हाथ फैरकर ट्रेप पार्टी की तरफ ईशारा करे। दोनो गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात सोडीयम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का श्रवण सिंह के हाथ धुलाकर दृष्टांत देकर परिवादी व गवाहान को महत्व समझाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 7.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी अजयपाल सिंह, दोनो गवाह श्री नरेश कुमार, प्रदीप कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, दीपेश कुमार, राजपाल सिंह, राजकुमार, कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये परिवादी के वाहन, सरकारी वाहन मय चालक हिम्मत सिंह एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से खेतडी जिला झुन्झुनू के लिए रवाना होकर खेतडी में डीपो से पहले पहुचा। परिवादी अजयपाल सिंह को आगर कार्यालय की तरफ रवाना कर दीपेश कुमार, श्रवण कुमार व राजपाल सिंह कानिगण को परिवादी के पीछे–पीछे आवश्यक निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक, दोनो गवाहान, व अन्य ब्यूरो स्टाफ मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के वहीं पर आगार कार्यालय से पहले परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 1.15 पीएम पर परिवादी अजयपाल सिंह बिना ईशारा किये ही मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया व बताया कि मै रवाना होकर हमारे आगार कार्यालय पंहुचा जहां पर हमारे अधिकारी श्री रामावतार चांवरिया कार्यालय में आये हुऐ नही थे, श्री चांवरिया जी करीब 11.30 एएम पर कार्यालय में आये तथा उसके बाद मुख्यालय जयपुर से चल रही वीसी में बैठ गये जिसके कारण मेरी उनसे वार्ता नही हुई तथा मैने टेप रिकॉर्डर को चालु भी नही किया, वीसी के बाद करीब 2–2.30पीएम पर दुबारा जाउंगा। परिवादी से टेप रिकॉर्डर प्राप्त किया गया, परिवादी सहित खेतडी में गोपनीय रूप से मुकीम हुए।

वक्त 2.50 पीएम पर परिवादी अजयपाल सिंह, दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के खेतडी में डीपो से पहले पहुचा। परिवादी अजयपाल सिंह को आगर कार्यालय की तरफ रवाना कर दीपेश कुमार, श्रवण कुमार व राजपाल सिंह कानिगण को परिवादी के पीछे–पीछे आवश्यक निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक, दोनो गवाहान व अन्य ब्यूरो स्टाफ मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के वहीं पर आगार कार्यालय से पहले परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 4.00 पीएम पर परिवादी अजयपाल सिंह बिना ईशारा किये ही मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया व बताया कि मै रवाना होकर हमारे आगार कार्यालय पंहुचा जहां पर हमारे अधिकारी श्री रामावतार चांवरिया कार्यालय में बैठे थे जिनके पास हमारे कार्यालय के अन्य कार्मिक बैठे थे तथा मै उनके पास दो–तीन बार दुसरे राजकार्य से गया मगर उन्होने मेरे से रिश्वत राशि के बारे में कोई चर्चा नही की तथा मैने टेप रिकॉर्डर को चालु भी नही किया। परिवादी ने बताया कि अब दो दिन, शनिवार व रविवार का अवकाश है तथा सोमवार को श्री चावरिया जी मेरे से रिश्वत की मांग करेगें तो मै आपको सूचना कर दुंगा। आईन्दा कार्यवाही करने के लिए परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी द्वारा रिश्वत के लिए कहने पर तुरन्त सम्पर्क करें। परिवादी अजयपाल सिंह की जेब में रखी रिश्वती राशि गवाह प्रदीप कुमार से निकलवाकर एक कागज में लपेट कर सुरक्षित रखी गई। परिवादी अजयपाल सिंह को बाद हिदायत खेतडी ही छोडकर मै उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा, ट्रेप राशि सुरक्षित रखवाई गई। दोनो गवाहों को गोपनीयता बरतने बाबत हिदायत कर रूखस्त दी गई। आईन्दा परिवादी का फोन आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 18.11.2022 को परिवादी श्री अजयपाल सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी खेतडी हाल परिचालक, आगार खेतडी जिला झुन्झुनू ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर मन् उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 11.11.2022 के बाद मै कार्यालय मे ही था लेकिन श्री चावरिया जी ने मेरे से रिश्वत की मांग नही की। हमारे कार्यालय के साथी कार्मिको से मुझे सूचना मिल रही है कि श्री चावरिया जी को मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्य के बारे में शक हो गया हैं। इसलिए अब श्री चावरिया जी मेरे से रिश्वत नही लेगें। अब आगे ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है इसलिए अब मै आगे कार्यवाही नही करवाना चाहता हूँ, मेरे द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि मुझे लौटाई जावे। परिवादी के द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बधं में एक रिपोर्ट भी पेश की जो शामिल की गई। चुकि प्रकरण में अब आगे कार्यवाही सम्भव नही है इसलिए परिवादी अजय सिंह के द्वारा दिनांक 11.11.2022 को पेश की गई रिश्वती राशि 10,000रूपये जो सुरक्षित रखे है को परिवादी को जरिये रसीद सुपुर्द कर रसीद शामिल की गई। परिवादी अजय सिंह को बाद हिदायत इजाजत दी गई। समय–समय पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार किया गया।

दिनांक 10.11.2022 को परिवादी श्री अजयपाल सिंह व आरोपी रामावतार चांवरिया के मध्य आगार कार्यालय खेतडी जिला झुन्झुनू में वार्ता हुई जिसको परिवादी ने रिकॉर्ड किया हैं, वार्ता में परिवादी कहता है कि 'वो 11 बजे आपको पेमेन्ट दे दे क्या' आरोपी कहता है कि 'हां, दे ही दो' परिवादी कहता है कि 'एक साहब, एक बात रिक्वेस्ट है आपसे मेरी एक यारो आप मेरी पोस्ट का ऑडिट का, पोस्ट का आदेश करो' आरोपी कहता है कि

'चलो, हर हालत में कल ही कर दूंगा' परिवादी कहता है कि 'हां, कल वो मेरे पास, क्योंकि वो बाद में दूसरी बात थोड़ी देखो साहब, अब मेरे को पांच हजार रूपये ज्यादा पड़ेगे, आप अपने हिसाब से देख लो, मेरे को कुछ कम ज्यादा कुछ करो तो उस हिसाब से कर दो मेरे को' आरोपी कहता है कि 'यार हद हो गई, मैं ओर दूसरों कहता तो कर देता मैं, आपका तो मैं छः और करूंगा' परिवादी कहता है कि 'अरे इसमें मेरे को परमानेंट तो रखोगे ना इसमें' आरोपी कहता है कि 'परमानेंट रखूंगा आपको, परमानेंट' परिवादी कहता है कि 'इस सीट पर ही' आरोपी कहता है कि 'बिल्कुल हिलाउंगा नहीं, बिल्कुल भी यह मेरा वादा है' परिवादी कहता है कि 'शिकायत, कल को शिकायत हो जाये, कोई दूसरो आ जाये' आरोपी कहता है कि 'शिकायत हो जाये, उसको भी नहीं, हटा दूंगा शिकायत को, फिर क्या मतलब हुआ' परिवादी कहता है कि 'पांच हजार रूपये साहब, थोड़ा बहुत तो कम करो यार' आरोपी कहता है कि 'कुछ भी नहीं कम'

उपरोक्त कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री अजयपाल सिंह राजस्थान राज्य पथ परिवाहन निगम आगार खेतडी जिला झुन्झुनू में परिचालक के पद पर कार्यरत है तथा आरोपी श्री रामावतार चावरियां खेतडी आगार में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। सीनीयर परिचालक को रूट से ऑफ कर कार्यालय में ही डयुटी लेने के निर्देश निगम मुख्यालय जयपुर से जारी किये हुऐ हैं। मुख्यालय जयपुर के उक्त आदेशों की पालना में परिवादी श्री अजयपाल सिंह को माह अगस्त की समय सारणी में कार्यालय की डयुटी के आदेश मुख्य प्रबंधक के द्वारा कर माह सितम्बर 2022 में मौखिक आदेश से राजस्व कैशियर के पद पर लगा दिया तब से परिवादी श्री अजयपाल सिंह आगार खेतडी में कैशियर के पद पर कार्य कर रहा हैं। आरोपी श्री रामावतार चांवरिया मुख्य प्रबंधक ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी अजयपाल सिंह को कैशियर के पद पर रखने के नाम से पांच हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से दो माह अक्टुबर, नवम्बर 2022 के दस हजार रूपये रिश्वत के मांग कर के लेने के लिए सहमत होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री रामावतार चांवरिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी तत्का0 कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार खेतडी जिला झुन्झुनू के विरूद्ध धारा 7 भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामावतार चांवरिया पुत्र श्री मुखाराम, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 479/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/12/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 4089-92 दिनांक 19.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय परिवहन मार्ग चौमूं हाऊस, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

19/12/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।